



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1221

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2011/आषाढ़ 6, 1933

No. 1221

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2011/ASADHA 6, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2011

का.आ. 1464(अ).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 के चित्तौड़गढ़-कोटा-बारां-राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य में प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर मैसर्स चित्तौड़गढ़ कोटा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 414, साहाजानंद अरकड 132 एफ.टी. सिंग रोड, ओपोसिट हेलमेट, ट्रैफिक पोलीस सरकल मामनगर, अहमदाबाद, में है के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 199.929 कि.मी. से 360.492 कि.मी. के चित्तौड़गढ़-कोटा खंड जिसमें 199.929 कि.मी. से 216.221 कि.मी. तक 16.292 कि.मी. का चित्तौड़गढ़ बाईपास सम्मिलित है, जिसकी अनुमानित लागत एक सौ अठासी करोड़ रुपये है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है), के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु फरार किया है;

अतः, यह, कोटा-चित्तौड़गढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 816(अ), तारीख 23 मार्च, 2009, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 817(अ), तारीख 23 मार्च, 2009 तथा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 818(अ), तारीख 23 मार्च, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए, फीस नीचे की सारणी-I और सारणी-II स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक यानों पर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, अथवा वाणिज्य प्रचालन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, वास्तविक फीस संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

## सारणी-1

## उक्त सेक्शन के उपयोग के लिये आधार फीस

क्रम संख्यांक	यान का प्रवर्ग	प्रत्येक एकतरफा यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	3.45
5.	अधिक बड़े यान (सात या अधिक धुरी)	4.20

## सारणी- II

## फीस की आधार दर (प्रति यान प्रति एकतरफा फेरा रुपये)

स्थायी बाईपास की लागत (रुपये करोड़ में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	भारी संनिर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान	अधिक बड़े यान
10 से 15	5	7.50	15	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक	1	1.50	3	4.50	6
प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.500

## टिप्पण:-

(1) फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जाएगा।

खंड	लंबाई	प्लाजा का अवस्थान
(1)	(2)	(3)
216.221 कि.मी.—252.929 कि.मी.	36.708	237.629 कि.मी.
252.929 कि.मी.—306.929 कि.मी.	54.00	294.469 कि.मी.
306.929 कि.मी.—360.429 कि.मी.	53.50	340.979 कि.मी.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इसके अधीन नीचे विनिर्दिष्ट बाईपास के लिए उदग्रहीत और संग्रहीत फीस निम्नलिखित पथकर प्लाजा पर शोथ्य और संदेय होगी।

क्रम संख्या	पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनैज)	प्रसुविधा की प्रकृति	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 237.629 कि.मी.	चित्तौड़गढ़ बाईपास 199.929 कि.मी. से 216.221 कि.मी., 16.292 कि.मी.	188.00

(2) पूर्ववर्ती फीस पुनरीक्षण की तारीख से छह मास की अवधि के व्यपगत होने से पूर्व, फीस का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

[ फा. सं. भारतप्रा/13013/531/10-11/सी.ओ./जीसी-चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़-कोटा)ओ.एम.टी.]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2011.

**S.O. 1464(E).**—Whereas, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (58 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch Chittorgarh-Kota - Baran - Rajasthan/Madhya Pradesh Border Section of National Highway No. 76 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by Section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s. Chittorgarh Kota Tollway Private Limited having its registered office at 414, Sahajanand Arcade 132 FT Ring Road Opposite Helmet, Traffic Police Circle Mamnagar, Ahmedabad for operation and maintenance of Chittorgarh-Kota section from km 199.929 to km 360.429 ( including Chittorgarh bypass of 16.292 km from km 199.929 to km 216.221, the approximate cost of which is rupees one hundred eighty eight crore) on National Highway No. 76 in the State of Rajasthan (hereinafter referred to as the said section) on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 816(E) dated 23rd March, 2009, S.O. 817(E) dated 23rd March, 2009, S.O. 818(E) dated 23rd March, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees on the type of mechanical vehicles specified in column (2) of the following Table-I and Table-II, at the base rate specified in column (3) thereof, for the use of the said section and authorises the said Concessionaire to collect and retain the actual fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely :—

**TABLE-I**

**Base rate for the use of the said section**

S. No.	Category of vehicle	Base rate of fee per km per vehicle per one way trip (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
5.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE-II

Base rate of fee (rupees per vehicle per one way trip)

Cost of permanent bypass (rupees in crores)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees fifteen crores and up to rupees one hundred crores.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees one hundred crores and up to rupees two hundred crores.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.500

Notes :—

1. The fee shall be collected at the following locations of Toll Plazas for the distance specified against each Toll Plaza :—

Stretch	Length	Plaza location
Km 216.221 - km 252.929	36.708	Km 237.629
Km 252.929 - km 306.929	54.00	Km 294.469
Km 306.929 - km 360.429	53.50	Km 340.979

In addition to the above, the fee levied and collected hereunder for the bypass as specified below shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) :—

Sl. No.	Location of Toll Plaza (Chainage)	Nature of the Facility	Cost (in Rs. Crore)
1	km 237.629 of NH-76	Chittorgarh Bypass of 16.292 Km from Km 199.929 to Km 216.221	188.00

2. The revision of fee shall not be effected until a period of 6 (six) months has elapsed from the date of preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/531/10-11/CO/GC Chittorgarh (Chittorgarh-Kota) OMT]  
B. B. MOHAPATRA, Director